न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, छत्तरपुर (पलामू)।

विविध वाद संख्या–07/2022–2023

कुलदीप भुईयाँ–.....................................आवेदक/अपीलार्थी।

बनाम

कपिलदेव सिंह वगैरह–..............................विपक्षी/प्रतिवादी।

आदेश

आदेश की क्रं0सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
18.04.23	यह विविध वाद आवेदक कुलदीप भुईयाँ, वल्द स्वर्गीय लालजी भुईयाँ, निवास स्थान ग्राम रामगढ़, डाकघर कउवल, थाना छतरपुर, जिला पलामू की ओर से मौजा रामगढ़, थाना नम्बर–207, अंचल+थाना छतरपुर अंतर्गत खाता नम्बर–38, प्लौट नम्बर–259 एवं 260, क्रमश रकबा 16 एवं 03 डिसमिल कुल रकबा–19 डिसमिल भूमि का जमाबन्दी **प्रतिवादी** 1–**कपिलदेव सिंह** वल्द स्वर्गीय बाबुराम सिंह, 2–राधा **कुँवर** पति स्व0 अलखदेव सिंह, दोनों निवास स्थान ग्राम रामगढ़, डाकघर कउवल, थाना छतरपुर, जिला पलामू के विरूद्ध चल रहे अवैध जमाबन्दी (माँग) को रद्द करने से संबंधित है। आवेदक/अपीलार्थी द्वारा दाखिल आवेदन को सुनवाई के लिए अंगीकृत करते हुए उभय पक्ष को नोटिस निर्गत किया गया। उभय पक्ष द्वारा अधिवक्ता के माध्यम से अपना आवेदन पत्र/लिखित कथन/प्रतिउत्तर समर्पित किया गया है जिसका अवलोकन किया।	

आदेश की क्र0सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	आवेदक/अपीलार्थी तथा प्रतिवादी/विपक्षी की ओर से विज्ञ अधिवक्ता के माध्यम से उभय पक्षों द्वारा सुलहनामा आवेदन समर्पित किया है जिसमें उनके कथन का सार है कि:- 1- यह कि यह वाद आवेदक कुलदीप भुईयाँ के आवेदन के आधार पर विपक्षी/प्रतिवादी कपिलदेव सिंह एवं राधा कुँवर के विरूद्ध मौजा रामगढ़, थाना नम्बर-207, अंचल+थाना छतरपुर अंतर्गत खाता नम्बर-38, प्लौट नम्बर-259 एवं 260, कमश रकबा 16 एवं 03 डिसमिल कुल रकबा-19 डिसमिल भूमि से संबंधित है। 2- यह कि इस वाद की भूमि के ऊपर उभय पक्ष आपस में मिल-जुल कर तथा आपस में सुलह हो जाने के बाद उभय पक्ष इस वाद पर प्रतिवाद नहीं करना चाहते हैं तथा उभय पक्षों के बीच इस वाद की भूमि पर कोई दावा एवं प्रतिदावा नहीं है। 3- यह कि यह सुलहनामा उभय पक्षों के निर्देशानुसार तैयार किया गया तथा दोनों पक्ष को पढ़कर सुना दिया गया तथा दोनों पक्ष इसपर अपना हस्ताक्षर बना दिये हैं। श्रीमान् से निवेदन है कि उभय पक्ष द्वारा समर्पित सुलहनामा को स्वीकार कर वाद की कार्रवाई समाप्त करने की कृपा की जाए। इस कार्य के लिए उभय पक्ष श्रीमान् का सदैव आभारी रहेंगे।	

आदेश की क्र०सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	अतः उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में उभय पक्ष द्वारा समर्पित आवेदन पत्र/लिखित कथन एवं उनके विज्ञ अधिवक्ता को सुनने व उनके लिखित बहस का अवलोकन करने तथा अभिलेख के साथ संलग्न कागजातों एवं उभय पक्ष द्वारा समर्पित सुलहनामा आवेदन के अवलोकन से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि दोनों पक्ष आपस में मिल बैठकर व सुलहनामा कर मामले को समाप्त करना चाहते हैं। उक्त आदेश के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। लेखापित एवं संशोधित 18/7/24 (हस्ताक्षर) भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, छत्तरपुर (पलामू)। 18/7/24 (हस्ताक्षर) भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, छत्तरपुर (पलामू)।	

Digitally signed by VIJAY KERKETTA
Date: 2024.07.13 15:24:28 +05:30
Location: 192.168.245.236